रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4
लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट पेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1 खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 24 अक्तूबर, 1981
कार्तिक 2, 1903 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग–1

संख्या 2784/सत्रह–वि–1—96-80

लखनऊ, 24 अक्तूबर, 1981

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1981 पर दिनांक 23 अक्तूबर, 1981 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1981 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981

(उत्तर प्रदेश अधिनियमसंख्या 21 सन् 1981)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

कतिपय गैर सरकारी होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों का अर्जन और प्रबन्ध करने और होम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान में शिक्षा का प्रान्तीयकरण करने और उससे सम्बद्ध या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये

अधिनियम

चूंकि राज्य में गैर सरकारी होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों के छात्र काफी समय से ऐसे महाविद्यालयों का प्रान्तीयकरण करने के लिये आन्दोलन करते हैं ;

और चूंकि इन महाविद्यालयों में उपलब्ध शिक्षा का स्तर, सज्जा और अध्ययन की सुविधा उपयुक्त नहीं है;

और चूंकि राज्य में आवश्यकता से अधिक महाविद्यालय केवल धन लोलुपता के अभिप्राय से चलाये जा रहे हैं और होम्योपैथिक विज्ञान में चिकित्सा शिक्षा का प्रान्तीयकरण करने और उसका समुचित संगठन करने और ऐसें विज्ञान में शिक्षा के स्तर और उपचार में सुधार करने और ऐसी बुराइयों की पुनरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से उन महाविद्यालयों का, जो अधिक उपयोगी है, अर्जन करना, और शेष महाविद्यालयों को बन्द करना आवश्यक है ;

अतएव, अब, भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 कहा जायगा ।

(2) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे ।

परिभाषायें

2—इस अधिनियम में,—

(क) "नियत दिन" का तात्पर्य धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित दिनांक से है ;

(ख) "होम्योपैथिक" का वही अर्थ होगा जो उसके लिये, उत्तर प्रदेश होम्योपैथी मेडिसिन अधिनियम, 1951 में दिया गया है ;

(ग) "अनुसूचित महाविद्यालय" का तात्पर्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय के साथ-साथ उससे संलग्न या उसके संबंध, में प्रयुक्त चिकित्सालय और औषधालय से है और इसके अन्तर्गत ऐसे महाविद्यालय के संबंध में या उसके उपसाधन के रूप में प्रयुक्त या उससे अनुबद्ध समस्त व्याख्यान कक्ष, प्रयोगशालायें, पुस्तकालय, छात्रावास और बोर्डिंग हाउस भी है ; उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या सन् 1952

(घ) किसी अनुसूचित महाविद्यालय के सम्बन्ध में, "सोसाइटी" का तात्पर्य ऐसी सोसाइटी, न्यासी या अन्य व्यक्ति या निकाय से है जिसमें ऐसे महाविद्यालय का स्वामित्व और उसके कार्य-कलाप का प्रबन्ध और नियंत्रण निहित हो ।

अध्याय दो

अनुसूचित महाविद्यालयों का अर्जन

अनुसूचित महाविद्यालयों का राज्य सरकार में निहित होना

3—(1) नियत दिन को और उसी दिन से प्रत्येक अनुसूचित महाविद्यालय और उसके साथ ही—

(क) ऐसी समस्त भूमि जिस पर ऐसा महाविद्यालय स्थित हो और उससे अनुलग्न अन्य समस्त भूमि और ऐसी भूमि पर समस्त भवन, निर्माण और फिक्सचर ;

(ख) ऐसे महाविद्यालय का समस्त फर्नीचर, उपस्कर, स्टोर, साधित्र, उपकरण, यंत्र, भेषज, औषधि, निर्माण-कार्य, कर्मशाला, परियोजना, आटोमोबाइल पुस्तकें, धन और अन्य आस्तियां ;

(ग) ऐसी समस्त अन्य जंगम और स्थावर सम्पत्ति, जिसके अन्तर्गत फार्म, पट्टा और समस्त अधिकार, शक्तियां, प्राधिकार, विशेषाधिकार, आरक्षित निधि, विनिधान; बही-ऋण और ऐसी सम्पत्ति में या उसके संबंध में या उससे उद्भूत होने वाले समस्त अन्य अधिकार और हित भी हैं, जो नियत दिन के ठीक पूर्व ऐसे महाविद्यालय के कार्य- कलाप के प्रबन्ध के प्रभारी प्रशासक या किसी अन्य व्यक्ति, सोसायटी या निकाय के स्वामित्व, कब्जा, शक्ति या नियंत्रण में रही हों,

राज्य सरकार को अन्तरित हो जायगी और पूर्ण रूप से उसमें निहित होगी और ऐसे महाविद्यालय के प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त की जायगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समस्त या किसी सम्पत्ति और आस्ति के संबंध में प्रत्येक दान-विलेख विन्यास, वसीयत, न्यास या अन्य दस्तावेज का, नियत दिन से, इस प्रकार अर्थ लगाया जायगा मानो वह राज्य सरकार के पक्ष में किया या निष्पादित किया गया हो ।

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस धारा में निर्दिष्ट प्रत्येक सम्पत्ति और आस्ति, जो उपधारा (1) के आधार पर राज्य सरकार मे निहित हो गई हो, इस प्रकार निहित होने के आधार पर सभी ऋण, बाध्यता, बन्धक, प्रभार या धारणाधिकार और उसे प्रभावित करने वाले अन्य भारों से मुक्त और उन्मोचित हो जायेगी, और किसी न्यायालय या अधिकरण की ऐसी सम्पत्ति के उपयोग को किसी रीति से निर्बन्धित करने वाली प्रत्येक कुर्की, व्यादेश, डिक्री या आदेश को वापस लिया गया समझा जायगा ।

(4) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियत दिन के ठीक पूर्व सोसाइटी द्वारा या उसके विरुद्ध लम्बित वाद या विद्यमान किसी कार्यवाही या वाद-हेतुक को नियत दिन से, राज्य सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध उसी प्रकार जारी रखा और प्रवृत्त किया जा सकेगा जैसा वह ऐसी सोसाइटी द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखा या प्रवृत्त किया जा सकता था यदि यह अधिनियम प्रवृत्त न हुआ होता ।

अनुसूचित महाविद्यालयों का प्रशासन

4—(1) नियत दिन को और उसी दिन से प्रत्येक अनुसूचित महाविद्यालय का प्रशासन राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से किया जायगा जैसी राज्य सरकार समय-समय पर निदेश दे ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार निदेश दे सकती है कि—

(क) एक या अधिक अनुसूचित महाविद्यालयों को बन्द कर दिया जायगा ;

(ख) ऐसे दो या अधिक महाविद्यालयों को सम्मिलित या समामेलित कर दिया जायगा ;

(ग) ऐसे एक या अधिक महाविद्यालयों के छात्रों को ऐसे अन्य महाविद्यालयों में स्थानान्तरित या आमेलित कर दिया जायगा ;

(घ) ऐसे महाविद्यालयों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों का स्थानान्तरण एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में कर दिया जायेगा ।

कब्जा देने का कर्तव्य

5—(1) प्रत्येक व्यक्ति जिसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में नियत दिन को धारा 3 में निर्दिष्ट कोई सम्पत्ति या आस्ति हो, ऐसी सम्पत्ति या आस्ति कलक्टर या ऐसे अन्य अधिकारी को जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, तत्काल परिदत्त कर देगा, और कलक्टर या यथा पूर्वोक्त ऐसा अन्य अधिकारी, ऐसा परिदान प्राप्त करने के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है जैसा आवश्यक हो ।

(2) ऐसा व्यक्ति जिसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में नियत दिन की धारा 3 में निर्दिष्ट किसी सम्पत्ति से संबंधित कोई बही, कागज-पत्र या अन्य दस्तावेज हो, उनका लेखा-जोखा, कलक्टर को या ऐसे अन्य अधिकारी को जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, देने का जिम्मेदार होगा ।

(3) इस अधिनियम में दिये गये अन्य उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसी समस्त सम्पत्तियों और आस्तियों का जो इस अधिनियम के अधीन उसे अन्तरित और उसमें निहित की गई हैं, कब्जा लेने के लिये समस्त आवश्यक कार्यवाही करे ।

अध्यापक और अन्य कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारी हो जायेंगे

6—(1) धारा 7 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसा प्रत्येक अध्यापक या अन्य कर्मचारी जो नियत दिन के ठीक पूर्व किसी अनुसूचित महाविद्यालय में या उसके कार्यकलाप के संबंध में नियोजित हो, वह नियत दिन से राज्य सरकार का, यथास्थिति, अध्यापक या अन्य कर्मचारी हो जायगा और अपना पद उसी कार्यावधि के लिये, उसी पारिश्रमिक पर और उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर और पेंशन, उपदान और अन्य विषयों के संबंध में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ धारण करेगा, जैसे धारण करता यदि यह अधिनियम प्रवृत्त न हुआ होता, और इसी प्रकार धारण करता रहेगा जब तक कि उसका नियोजन सम्यक् रूप से समाप्त न कर दिया जाय या जब तक कि उसके पारिश्रमिक, निबन्धन और शर्तों को राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित न कर दिया जाय :

परन्तु यदि ऐसा अन्तरण किसी ऐसे अध्यापक या अन्य कर्मचारी को स्वीकार न हो तो वह नियत दिन से एक मास के भीतर राज्य सरकार को इस आशय की सूचना देगा, और तदुपरान्त उसका नियोजन नियत दिन से समाप्त हो जायगा :

परन्तु यह और कि यदि किसी अध्यापक या अन्य कमचारी के नियोजन की समाप्ति पूर्ववर्ती परन्तुक के अनुसार की जाती है तो ऐसा अध्यापक या कर्मचारी, उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित का हकदार होगा :—

(क) स्थायी कर्मचारी की दशा में तीन मास के वेतन के बराबर और किसी अन्य कर्मचारी की दशा में एक मास के वेतन के बराबर धनराशि, और

(ख) अन्य प्रसुविधाएं जो ऐसे महाविद्यालय में उसकी विगत सेवाओं के कारण उसे प्राप्त होती यदि उसके नियोजन की समाप्ति इस प्रकार न की गई होती ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी की सेवाओं के अन्तरण या सेवा समाप्ति से वह संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, 1947 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा और इस प्रकार का कोई दावा किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा ग्रहण नहीं किया जायगा ।

(3) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् किसी समय किसी अनुसूचित महाविद्यालय में किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी के पद में कोई रिक्ति होती है और ऐसे प्रारम्भ के दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को किसी होम्योपैथिक महाविद्यालय में (अनुसूचित महाविद्यालय से भिन्न) सेवारत कोई अध्यापक या अन्य कर्मचारी उसी कोटि या श्रेणी के किसी ऐसे पद पर नियुक्ति के लिये आवेदन करता है, तो ऐसा अध्यापक या कर्मचारी अन्य आवेदकों की तुलना में अधिमान का हकदार होगा, बशर्ते वह उस पद के लिये विहित न्यूनतम अर्हतायें पूरी करता हो ।

कतिपय नयुक्तियों आदि का पुनर्विलोकन

7—(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, नियत दिन से ठीक पूर्व दो वर्ष की अवधि में किसी अनुसूचित महाविद्यालय के अध्यापकों या अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति या उन्हें दी गई वेतनवृद्धि की यथार्थता का पुनर्विलोकन करने के लिये राज्य सरकार किसी अधिकारी को नाम-निर्दिष्ट कर सकती है या कोई समिति नियुक्त कर सकती है, और यदि ऐसे अधिकारी या समिति की रिपोर्ट और प्रभावित अध्यापकों या अन्य कर्मचारियों से इस विषय में प्राप्त किसी अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, कोई नियुक्ति या वेतनवृद्धि राज्य सरकार को यथार्थ न प्रतीत हो तो वह, यथास्थिति, ऐसे अध्यापक या कर्मचारी की सेवा समाप्त कर सकती है या वेतनवृद्धि को रद्द कर सकती है और ऐसी प्रत्येक सेवा-समाप्ति पर धारा 6 की उपधारा (2) के उपबन्ध लागू होंगे ।

(2) अपने स्वामित्वाधीन किसी ऐसी सम्पत्ति या आस्ति के सम्बन्ध में, जो धारा 3 के अधीन राज्य सरकार में निहित हो, किसी सोसाइटी द्वारा किसी सेवा, विक्रय या सम्भरण के लिये की गई प्रत्येक संविदा, जो नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त रही हो, नियत दिन से एक सौ अस्सी दिन की अवधि की समाप्ति के दिन को और उसी दिन से प्रभावी न रह जायगी, जब तक कि ऐसी संविदा का, उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व राज्य सरकार द्वारा लिखित रूप से अनुसमर्थन न कर दिया जाय और ऐसी संविदा या अनुसमर्थन करने में राज्य सरकार ऐसा परिवर्तन या उपान्तर कर सकती है जिसे वह उचित समझे :

परन्तु राज्य सरकार तब तक किसी संविदा का अनुसमर्थन करने में त्रुटि नहीं करेगी और न उसमें कोई परिवर्तन या उपान्तर करेगी—

(क) जब तक कि उसका यह समाधान न हो जाय कि ऐसी संविदा अनुचित रूप से दुर्भर है या असद्भावपूर्वक की गई है या राज्य सरकार के हितों के लिये हानिकर है, और

(ख) जब तक कि संविदा के पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो और संविदा का अनुसमर्थन करने से इन्कार करने या उसमें कोई परिवर्तन या उपान्तर करने के कारणों को अभिलिखित न कर दिया जाय ।

अध्याय—तीन

नए महाविद्यालय खोलने का निषेध

नये होम्योपैथिक महाविद्यालय स्थापित नहीं किये जायेंगे

8—संविधान के अनुच्छेद 30 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति नियत दिन को या उसके पश्चात्—

(क) होम्योपैथी में किसी शिक्षण कार्य का भार लेने, या उसके संचालन, उसकी व्यवस्था या प्रस्थापना की प्रव्यंजना करने वाली किसी संस्था को न तो खोलेगा, न उसका संगठन, अनुरक्षण या प्रबन्ध करेगा और न उसे खुलवायेगा, या न उसका संगठन, अनुरक्षण या प्रबन्ध करायेगा ;

(ख) होम्योपैथी में किसी शिक्षण पाठ्यक्रम में, चाहे फीस का भुगतान करने पर या ऐसे भुगतान के बिना, न तो कोई भर्ती करेगा और न भर्ती करने की प्रस्थापना करेगा ;

(ग) होम्योपैथी में शिक्षण प्रदान करने वाली किसी संस्था के संबंध में कोई दान, अभिदान या फीस (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय) नहीं लेगा ;

(घ) होम्योपैथी में शिक्षण प्रदान करने की दृष्टि से व्याख्यान, परीक्षा के लिये तैयार कराने या अध्यापन का या किसी प्रयोगशाला में प्रयोग करने का न तो कोई प्रबन्ध करेगा और न यह प्रकट करेगा कि ऐसा प्रबन्ध किया गया है ।

धारा 8 के उल्लंघन के लिए शास्ति

9—धारा 8 के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दण्डनीय होगा ।

अध्याय—चार
प्रकीर्ण

अधिनियम के उपबन्धों का अधिभावी प्रभाव होगा

10—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में या किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी की किसी डिक्री या आदेश में इस अधिनियम से असंगत किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

शास्ति

11—ऐसा व्यक्ति, जो—

(क) किसी अनुसूचित महाविद्यालय के प्रयोजनों के लिये धृत किसी सम्पत्ति या आस्ति को अपने कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में रखते हुए ऐसी सम्पत्ति या आस्ति को धारा 5 की उपधारा (1) के उल्लंघन में सदोष विधारित करता है, या

(ख) किसी अनुसूचित महाविद्यालय के प्रयोजनों के लिये धृत किसी सम्पत्ति या आस्ति पर सदोष कब्जा लेता है या बनाये रखता है, या

(ग) किसी अनुसूचित महाविद्यालय के संबंध में अपने कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण के अधीन स्थित कोई बही, कागज-पत्र या अन्य दस्तावेज धारा 5 की उपधारा (2) के उल्लंघन में जान-बूझकर विधारित करता है या उनका लेखा-जोखा देने में विफल रहता है, या

(घ) किसी अनुसूचित महाविद्यालय के प्रयोजनों के लिये धृत किसी सम्पत्ति का सदोष उपयोग करता है, उसे हटाता है या नष्ट करता है;

कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने से जो तीन हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दण्डनीय होगा।

कम्पनी द्वारा अपराध

12—जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो, वहां ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी का प्रभारी रहा हो और उसके कार्य-संचालन के लिये उसके प्रति उत्तरदायी रहा हो, और कम्पनी को भी अपराध का दोषी समझा जायेगा, और तदनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और दण्ड दिया जा सकेगा:

परन्तु इस उपधारा की किसी बात से ऐसा कोई व्यक्ति दण्डनीय नहीं होगा यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध बिना उसकी जानकारी के किया गया था या उसने उस अपराध के निवारण के लिये सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह साबित हो जाय कि अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया है या उसकी ओर से कोई उपेक्षा किये जाने के कारण हुआ है, वहां ऐसे निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी को उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और दण्ड दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण:—इस धारा के प्रयोजनों के लिये—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म, सोसाइटी या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है; और

(ख) किसी फर्म के संबंध में, "निदेशक" का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण

13—इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किये गये या किये जाने के लिये आशयित किसी कार्य के लिए राज्य सरकार या उसके किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

अपराध का संज्ञान

14—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की गयी किसी लिखित परिवाद के बिना नहीं करेगा।

अल्पसंख्यक संस्थाओं के बारे में व्यावृत्ति

15—इस अधिनियम की कोई बात होम्योपैथी में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रहते हुए शिक्षण प्रदान करने के लिये संविधान के अनुच्छेद 30 में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक के अपनी रुचि की किसी शिक्षण संस्था को स्थापित और प्रशासित करने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी।

नियम बनाने की शक्ति

16—राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

निरसन और अपवाद

17—(1) उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1979 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) द्वारा निरसित अधिनियमिति के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही विधिमान्य बनी रहेगी मानों यह अधिनियम प्रवृत्त न हुआ हो।

अनुसूची

[धारा 2 (ग) देखिए]

	महाविद्यालय का नाम
1	गाजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, गाजीपुर ।
2	कानपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, कानपुर ।
3	मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ
4	श्री दुर्गा जी होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, चन्देशर, आजमगढ़ ।
5	डा0 बृज किशोर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, फैजाबाद ।
6	के0 जी0 के0 होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, मुरादाबाद ।
7	टी0 डी0 होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, जौनपुर ।
8	लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, इलाहाबाद ।
9	होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, टिगरी मनकावाला, नगीना, बिजनौर ।

आज्ञा से,
गंगा बख्श सिंह,
सचिव ।

No. 2784 (2) /XVII-V-1–96-80

Dated Lucknow, October 24, 1981

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Homoeopathic Chikitsa Mahavidyalaya (Arjan Aur Prakirn Upbandh) Adhiniyam, 1981 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 21 of 1981), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President, on October 23, 1981 :

THE UTTAR PRADESH HOMOEOPATHIC MEDICAL COLLEGES (ACQUISITION AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT, 1981

[U. P. Act no. 21 of 1981]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to provide for acquisition and management of certain non-government homoeopathic medical colleges and to provincialise the education in the medical science of homoeopathy and for matters connected therewith or incidental thereto.

Whereas, the students of non-government homoeopathic medical colleges in the State have been agitating for the provincialisation of such colleges for a long time ;

And, whereas, the standard of education, equipment and facility for studies obtaining in these Colleges are not up to the mark ;

And, whereas, a large number of colleges than necessary are operating in the State with mercenary motives, and with a view to provincialise and properly organise the medical education in homoeopathic science and to improve the standard of education and treatment in such science and to prevent recurrence of such evils, it is necessary to acquire those colleges which are more useful and to close down the rest ;

Now, therefore, it is hereby enacted in the Thirty-second Year of the Republic of India as follows :—

Chapter I

Preliminary

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Homoeopathic Medical Colleges (Acquisition and Miscellaneous Provisions) Act, 1981.

(2) It shall come into force on such date of the State Government may, by notification, appoint in this behalf.

Definitions.

2. In this Act—

(a) "appointed day" means the date notified under sub-section (2) of section 1;

(b) "Homoeopathy" shall have the meaning assigned to it in the Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine Act, 1951;

(c) "Scheduled College" means a homoeopathic medical college specified in the Schedule together with the hospitals and dispensaries attached thereto or used in connection therewith, and includes all lecture-rooms, laboratories, libraries, hostels and boarding houses used in connection with or as accessories to, or adjuncts of such college;

(d) "Society" in relation to a Scheduled college means the society, trustee or other person or body in which the ownership, management and control of the affairs of such colleges are vested.

CHAPTER II

Acquisition of Scheduled Colleges

Vesting of Scheduled colleges in the State Government.

3. (1) On and from the appointed day, every Scheduled College, together with—

(a) all lands on which such college stands and all other land appurtenant thereto, and all buildings, erections and fixtures on such lands;

(b) all furnitures, equipments, stores, apparatuses, instruments, appliances, drugs, medicines, works, workshops, projects, automobiles, books, moneys and other assets of such college;

(c) all other properties, movable and immovable including farms, leases and all rights, powers, authorities, privileges, reserve funds, investments, book-debts, and all other rights and interests in or in relation to or arising out of such property as were immediately before the appointed day, in the ownership, possession, power or control of the Administrator or any other person, society or body in charge of the management of the affairs of such college;

shall stand transferred to and vest absolutely in the State Government and shall be applied for the purpose of such college.

(2) Every deed of gift, endowment, bequest, trust or other document in relation to all or any of the properties and assets referred to in sub-section (1) shall, as from the appointed day, be construed as if it were made or executed in favour of the State Government.

(3) Subject to the provisions of this Act, every property and asset referred to in this section, which by virtue of sub-section (1) has vested in the State Government shall, by force of such vesting, be freed and discharged from any debt, obligation, mortgage, charge or lien and other encumbrances affecting it, and every attachment, injunction, decree or order of any court or tribunal restricting the use of such property in any manner shall be deemed to have been withdrawn.

(4) Subject to the provisions of this Act, any proceeding or cause of action pending or existing immediately before the appointed day, by or against the society may, as from the appointed day, be continued and enforced by or against the State Government as it might have been continued or enforced by or against such society if this Act had not come into force.

Administration of Scheduled Colleges.

4. (1) On and from the appointed day, every Scheduled College shall be administered by the State Government in such manner, as the State Government may, from time to time, direct.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), the State Government may direct that—

(a) one or more of the scheduled colleges shall be closed down;

(b) two or more of such colleges shall be combined or amalgamated;

(c) students of one or more of such colleges shall be transferred to or absorbed in other such colleges;

(d) teachers and other employees of such colleges shall be transferred from one college to another.

Duty to deliver possession.

5. (1) Every person having possession, custody or control of any property or assets referred to in section 3 on the appointed day shall deliver forthwith such property or asset to the Collector or to such other officer as may be authorised by the State Government in this behalf, and the Collector or such other officer as aforesaid may use such force as may be necessary for obtaining such delivery.

(2) Any person who on the appointed day, has in his possession, custody or control any books, papers or other documents relating to any property referred to in section 3 shall be liable to account for the same to the Collector or to such other officer as may be authorised by the State Government in this behalf.

(3) Without prejudice to the other provisions contained in this Act, it shall be lawful for the State Government to take all necessary steps for taking possession of all properties and assets which have been transferred to and vested in it under this Act.

Teachers and other employees to become employees of State Government.

6. (1) Subject to the provisions of section 7, every teacher or other employee who, immediately before the appointed day is employed in, or in connection with the affairs of any scheduled college shall become, as from the appointed day, a teacher or other employee, as the case may be, of the State Government and shall hold his office by the same tenure, at the same remuneration and upon the same terms and conditions and with the same rights and privileges as to pension, gratuity and other matters as he would have held, if this Act had not come into force, and shall continue to do so, unless and until his employment is duly terminated or until his remuneration, terms and conditions are duly altered by the State Government:

Provided that if such transfer is not acceptable to any such teacher or other employee, he may intimate to the State Government to that effect within one month from the appointed day and thereupon, his employment shall stand terminated with effect from the appointed day:

Provided further that if the employment of teacher or other employee is terminated in accordance with the preceding proviso, such teacher or employee shall, subject to the provisions of sub-section (2), be entitled—

(*a*) to an amount equivalent to three months' salary in the case of permanent employee, and one month's salary in the case of any other employee; and

(*b*) to other benefits which could have accrued to him because of his past services in such college, had his employment not been so terminated.

(2) The transfer or termination of the services of any teacher, or other employee under sub-section (1) shall not entitle him to any compensation under the U. P. Industrial Disputes Act, 1947 or any other law for the time being in force, and no such claim shall be entertained by any court, tribunal or other authority.

(3) If any vacancy occurs in the post of a teacher or other employee in any scheduled college at any time after the commencement of this Act, and a teacher or other employee serving in any homoeopathic medical college (other than a scheduled college) on the date immediately preceding the date of such commencement applies for appointment to any such post carrying the same rank or grade, then such teacher or employee shall be entitled to a preference over other applicants provided he fulfils the minimum qualifications prescribed therefor.

Review of certain appointments, etc.

7. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government may nominate any officer or appoint a committee to review the genuineness of all appointments made or increments of salary given to the teachers or other employees of a scheduled college within the period of two years immediately preceding the appointed day, and if after considering the report of such officer or committee and representations that may be received in that behalf from the teachers or other employees affected, an appointment made or increment given does not appear to the State Government to be genuine, it may terminate the services of such teacher or employee or cancel the increment as the case may be, and the provisions of sub-section (2) of section 6 shall apply to every such termination.

(2) Every contract entered into by a Society in relation to any property or asset owned by it, which is vested in the State Government under section 3, for any service, sale or supply and in force immediately before the appointed day, shall, on and from the expiry of a period of one hundred and eighty days from the appointed day cease to have effect, unless such contract is, before the expiry of that period, ratified in writing by the State Government and in ratifying such contract the State Government may make such alteration or modification as it may think fit :

Provided that the State Government shall not omit to ratify a contract and shall not make any alteration or modification therein—

(*a*) unless it is satisfied that such contract is unduly onerous or has been entered into in bad faith or is detrimental to the interests of the State Government ; and

(*b*) except after giving the parties to the contract a reasonable opportunity of being heard and except after recording in writing its reasons for refusal to ratify the contract or for making any alteration or modification therein.

Chapter IV

Prohibition of opening of new colleges

New homoeopathic colleges not to be established.

8. Subject to the provisions of Article 30 of the Constitution no person other than a person authorised by the Central Government or the State Government shall, on or after the appointed day—

(*a*) open, organise, maintain or manage or cause to be opened, organised, maintained or managed any college professing to undertake, conduct, provide or offer any instruction in homoeopathy ;

(*b*) admit or offer admission on payment of fee or without such payment, to any course of instruction in homoeopathy ;

(*c*) receive any donation, subscription or fee (by whatever name called) in respect of any institution imparting instructions in homoeopathy ;

(*d*) make any arrangement or hold out that arrangements have been made for lecture, coaching or tuition or for experiments in, any laboratory with a view to imparting instructions in homoeopathy.

Penalty for contravention of section 8.

9. Every person who contravenes the provisions of section 8 shall be punishable with imprisonment for a period which may extend to three years or with fine which may txtend to two thousand rupees or with both.

Chapter V

Miscellaneous

Provisions of the Act to have over riding effect.

10. The provisions of this Act shall have effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force, or any instrument having effect by virtue of any law other than this Act or any decree or order of any court, tribunal or authority.

Other penalties.

11. Every person who—

(*a*) having in his possession, custody or control and property or asset held for the purposes of a scheduled college wrongfully withholds such property or asset in contravention of sub-section (1) of section 5 ; or

(*b*) wrongfully obtains possession of or retains any property or asset held for the purposes of any scheduled college ; or

(*c*) wilfully withholds or fails to account for any book, paper or other document in his possession, custody or control relating to a scheduled college in contravention of sub-section (2) of section 5 ; or

(*d*) wrongfully uses, removes or destroys any property held for the purposes of a scheduled college ;

shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to three thousand rupees or with both.

Offences by companies.

12. (1) Where any offence under this Act is committed by a company, every person who, at the time of the offence was committed, was incharge of, and was responsible to the company for the conduct of the business of the company, as well as the company shall be deemed to the guilty of the offence, and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly :

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where any offence under this Act has been committed by a company, and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation—For the purposes of this section—

(*a*) "Company" means anybody corporate and includes a firm, society or other association of individuals ; and

(*b*) "Director" in relation to a firm means a partner in the firm.

Protection of action taken in good faith.

13. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government or any of its officers or other employees for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

Cognizance of offences.

14. Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, no court shall take cognizance of any offence under this Act, except on a complaint in writing made by the State Government or any officer authorised in this behalf, by that Government.

Savings in respect of minority institutions.

15. Nothing in this Act shall affect the right of any minority, referred to in Article 30 of the Constitution to establish and administer educational institutions of their choice for imparting instructions in homoeopathy subject to any law for the time being in force.

Power to make rules.

16. The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

Repeal and savings.

17. (1) The Uttar Pradesh Homoeopathic Medical College, (Taking over of Management) Act, 1979 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or an action taken under the enactment repeated by sub-section (1), shall continue to be valid as if this Act has not come into force.

THE SCHEDULE

[*See* SECTION 2 (*c*)]

Serial no.	*Name of the colleges*
1.	Ghazipur Homoeopathic Medical College, Ghazipur.
2.	Kanpur Homoeopathic Medical College, Kanpur.
3.	Mohan Homoeopathic Medical College, Lucknow.
4.	Sri Durgaji Homoeopathic Medical College, Chandesar, Azamgarh.
5.	Sri Brij Kishore Homoeopathic Medical College, Faizabad.
6.	K.G.K. Homoeopathic Medical College, Moradabad.
7.	T. D. Homoeopathic Medical College, Jaunpur.
8.	Lal Bahadur Shastri Homoeopathic Medical College, Allahabad.
9.	Homoeopathic Medical College, Tigri Mankawala, Nagina, Bijnor.

By order,
G. B. SINGH,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 156 सा० (विधा०)—26-10-81—(2384)—1981—700(मैके०)